़यालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

(जिला–पाली) राज0

सीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

स्व वाद संख्या : 128/2020

MS NO. : 2020/00289

–ः वादी ः–	बनाम	–ः प्रतिवादी ः–
1. परसराम पुत्र राजीव लोचन जाति– चारण, निवासी– खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।		1. राजीव लोचन पुत्र उदयराज जाति– चारण, निवासी– खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.18.11.2021

स्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री करणी दान चारण, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 10/03/2021

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई ़षेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के ़त् इस आशय का पेश किया कि वादी प्रतिवादी का पुत्र हे तथा प्रतिवादी की ़मलाती पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू मुस्तर्का खानदान की शामलाती कृषि भूमि सरहद वाके ़जा खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वाके है जिसका विवरण ़म्नलिखित है :– खसरा नम्बर 108 रकबा 09–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल, ़सरा नम्बर 112 रकबा 14–02 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 119 ़कबा 04–13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 124 रकबा 05–13 बीघा ़स्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 210 रकबा 08–18 बीघा किस्म बारानी दोयम, ़सरा नम्बर 701 रकबा 09–17 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 06 कुल ़कबा 52–16 बीघा सरहद मौजा खराड़ी में वाके आराजी उपरोक्त वर्णित खसरा ़म्बरान् कुल रकबा 52–16 बीघा जिसका विस्तृत विवरण वादपत्र के पद संख्या 01 ़ दे रखा है जिसे वादपत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया ़ायेगा। उक्त आराजी वादी के प्रपिता श्री स्व डूंगरदान जी की जागीर की खूद ़ाश्त की कृषि भूमि है। डूंगरदान जी की मृत्यु के पश्चात् के बाद [illegible] उदयराज ़ी को उत्तराधिकारी व विरासत में प्राप्त हुई व जीवन पर्यन्त खातेदार व काश्तकार ़ व उदयराज जी की मृत्यु के पश्चात उनके जायज पुत्र [illegible] ़कर्डड काबिज खातेदार व काश्तकार हे इस भूमि की जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2074 से 2077 की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक भाग माना जावें। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी पूर्वजों की संयुक्त हिन्दू मुस्तर्का खानदान की सामलाती भूमि है जिसमें वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जन्म से हक व अधिकार प्राप्त है। वादी पुत्र है व प्रतिवादी वादी का पिता है व
का नाम उक्त भूमि में कर्ता खानदान के रूप में दर्ज है। वादी बालिग हो
है व 21 वर्ष की आयु व शादी सुदा है तथा परिवार से अलग रहता है। वादी
अपने पिताजी प्रतिवादी से 1/2 हिस्से की भूमि वादी के नाम हिस्सा दर्ज कराने
दिनांक 24.10.2020 को कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया। इसलिये यह
पत्र घोषणा खातेदारी खिलाफ प्रतिवादी के पेश है। वादी वादपत्र के पद संख्या 01
वर्णित कृषि भूमि का काबिल खातेदार काश्तकार है व इस रूप में अपना नाम
बन्दी खतौनी में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज करवाने का अधिकारी है।
लिये वादपत्र घोषणा हकूक खातेदारी खिलाफ प्रतिवादी के पेश है। बिनाय वाद
ांक 24.10.2020 को वादी क्षरा प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी वादी के नाम
कराने का कहने व प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने से मना करने पर बमुकाम खराड़ी
सील जैतारण जिला पाली राज0 में पैदा हुआ जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है
अन्दर म्याद है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया।
वादी संख्या 01 की ओर वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। प्रतिवादी की
र राजीनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल किया गया।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक
वलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनते हुये उस पर मनन
या। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

वादी परसराम पुत्र राजीव लोचन द्वारा प्रतिवादी एवं वादी के पिता राजीव लोचन
उदयराज के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 09–13 बीघा
स्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 112 रकबा 14–02 बीघा किस्म बारानी दोयम,
सरा नम्बर 119 रकबा 04–13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 124
कबा 05–13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 210 रकबा 08–18 बीघा
स्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 701 रकबा 09–17 बीघा किस्म बारानी दोयम
ल खसरा 06 कुल रकबा 52–16 बीघा को पुश्तैनी संयुक्त हिन्दु मुस्तरफा
ानदान शामलाती कृषि भूमि होनें के आधार पर उक्त वादग्रस्त आराजी में जन्म से
हित अपने खातेदारी हक अधिकार के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं
याई निषेधाज्ञा बाबत् हस्तगत वाद न्यायालय हाज़ा में प्रस्तुत किया।

. उभयपक्षकारान् द्वारा दिनांक 11.02.2021 को प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत करते
ये निवेदन किया कि उपर्युक्त अनवान के मुकदमें में वादी एवं प्रतिवादी ने आपस
इस आशय का राजीनामा कर लिया है कि सरहद मौजा खराड़ी पटवार हल्का
डेगरना में स्थित खसरा नम्बर 119 रकबा 04–13 बीघा, खसरा नम्बर 124
कबा 05–13 बीघा एवं खसरा संख्या 701 रकबा 09–17 बीघा कुल रकबा
20–03 बीघा भूमि जो प्रतिवादी ने वादी को दे दी है। वादी उक्त भूमि में अपना
ामा दर्ज करवाता है तो प्रतिवादी को आपत्ति ऐतराज नहीं हैं, क्योंकि उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ादी को उसके पूर्वजों से मिली है। अतः माफिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री ...ावें एवं खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगें।

ादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित जमाबन्दी संवत 2074-2077 ग्राम खराड़ी प्रदर्श ... के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 09-13 बीघा किस्म ...नी अव्वल, खसरा नम्बर 112 रकबा 14-02 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा ...र 119 रकबा 04-13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 124 रकबा ...-13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 210 रकबा 08-18 बीघा किस्म ...नी दोयम, खसरा नम्बर 701 रकबा 09-17 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल ...रा 06 कुल रकबा 52-16 बीघा प्रतिवादी एवं खातेदार राजीव लोचन पुत्र ...राज के नाम दर्ज हैं। नामान्तरण संख्या 2064 दिनांक 05.10.2017 के ...सार उक्त आराजी राजीव लोचन को अपने पिता उदयराज पुत्र डुंगरदान से ...रासत एवं बहनें प्रकाश कंवर एवं कुसुम के द्वारा हक त्याग करनें से प्राप्त हुई। ...र्श P-2, जमाबन्दी संवत 2017-2020 के अनुसार वादग्रस्त आराजी डुंगरदान ... रूपदान के नाम दर्ज थी जो कि विरासत से पुत्र उदयराज पुत्र डुंगरदान को ...तांतरित हुई। प्रदर्श P-3, जमाबन्दी संवत 2021-2024, जमाबन्दी 2025-2028 ...र्श P-4, जमाबन्दी 2029-2032 प्रदर्श P-5, जमाबन्दी 2035-2036 प्रदर्श P-... जमाबन्दी 2037-2040 प्रदर्श P-7, जमाबन्दी 2042-2045 प्रदर्श P-8, ...माबन्दी 2046-2049 प्रदर्श P-9, जमाबन्दी 2050-2053 प्रदर्श P-10, ...माबन्दी 2054-2057 प्रदर्श P-11 के अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी राजीव ...चन के पिता उदयराज पुत्र डुंगरदान के नाम दर्ज रही। वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता ...दग्रस्त आराजी के खातेदार एवं वादी के पिता राजीव लोचन का पैतृक सजरा प्रस्तुत ...या जिसके अनुसार राजीव लोचन के तीन संतान क्रमशः परसराम(पुत्र/वादी), ...र्षिका(पुत्री), विजयलक्ष्मी(पुत्री), इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में जन्म से प्रत्येक का ...4-1/4 हिस्सा कानूनन निहित है।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 06 में यह विधिक प्रावधान है कि ...हदायिकी सम्पत्ति में सहदायकों को जन्म से हक एवं अधिकार निहित होता है तथा ...सा पुत्र एवं पुत्रीयों में बिना किसी भेदभाव के न्यागमन होता है। हस्तगत वाद में ...पलब्ध दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की ...क्तिगत सम्पति नहीं है लेकिन चुंकि वादी का वाद हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम ...956 की धारा 06 के अन्तर्गत विचारणीय है तथा धारा 06 के अन्तर्गत किसी ...कार के अन्तिम निर्णय तक पहुंचने से पूर्व वादग्रस्त सम्पत्ति के समस्त ...कदार सहदायकों की संख्या तथा उनका हिस्सा निर्धारित करना ...ति ...श्यक होता ... क्योंकि इसके अभाव में किसी भी सहदायक ... हिस्सा ... ...सम्भव नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत पैतृक सजरा के अनुसार वादग्रस्त आराजी में ...पिता- राजीव लोचन, पुत्र- वादी परसराम एवं पुत्रीयां हर्षिका, विजयलक्ष्मी, का जन्म ...से एक समान हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा निहित है तथा अपने ...हिस्से तक प्रत्येक सहदायिक खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का कानूनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

कारी होता है। वादग्रस्त आराजी का कुल रकबा 52-16 बीघा है तथा कानूनन सहदायक का हिस्सा 1/4 अर्थात् 13-04 बीघा आता है। चुंकि प्रकरण में पक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा राजीनामा द्वारा 20-03 बीघा भूमि को दिये जाने कि सहमति प्रकट कि है, परन्तु चुंकि वादी का कानूनन 1/4 ा अर्थात् 13-04 बीघा भूमि पर ही जन्म से अधिकार निहित हैं। अतः पक्ष द्वारा निस्पादित राजीनामा वादी के कानूनन अधिकार अर्थात् 13-04 बीघा तक ही विधिमान्य एवं स्वीकार योग्य होनें से इसी सीमा तक राजीनामा कार किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त ाजी पैतृक पुश्तैनी सहदायिक सम्पत्ति होनें तथा वादी का वादग्रस्त आराजी में म से 1/4 हिस्सा अर्थात् 13-04 बीघा भूमि पर ही अधिकार निहित होनें, यपक्ष द्वारा राजीनामा निस्पादित किये जाने तथा राजीनामा वादी के विधिक प्रकार तक स्वीकार योग्य होनें से वादी का वाद वादी के हक हिस्से 1/4 अर्थात् -04 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बहक वादी करते हुये इसी ताबिक डिक्री किया जाना कानूनन वैध एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा-88, ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी के पक्ष में साबित होनें एवं रवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादी को वादग्रस्त आराजी मौजा खराड़ी सील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 108 रकबा 09-13 बीघा स्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 112 रकबा 14-02 बीघा किस्म बारानी दोयम, सरा नम्बर 119 रकबा 04-13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 124 कबा 05-13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 210 रकबा 08-18 बीघा स्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 701 रकबा 09-17 बीघा किस्म बारानी दोयम ल खसरा 06 कुल रकबा 52-16 बीघा में से मुताबिक राजीनामा एवं वादी के नूनन 1/4 हक हिस्से अर्थात 13-04 बीघा तक खसरा नम्बर 124 रकबा 5-13 बीघा, खसरा नम्बर 119 रकबा 04-13 बीघा दोनों खसरान् का सम्पूर्ण स्सा तक खसरा नम्बर 701 कुल रकबा 09-17 बीघा में से 02-18 बीघा कुल 3-04 बीघा आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर दपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी कर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर द तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:25 IST
Reason: SelfAttested

र्णय आज दिनॉक 10/03/2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वाद संख्या : 128/2020

No. : 2020/00289

-: वादी :-	बनाम	-: प्रतिवादी :-
. परसराम पुत्र राजीव लोचन जाति- चारण, निवासी- खराड़ी, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।		1. राजीव लोचन पुत्र उदयराज जाति- चारण, निवासी- खराड़ी, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

वाद बाबत घोषणा मु0न0 :- रा0वा0 स0: 128/2020

ति धारा 88, 92ए

ान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी ओमप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री करणी दान चारण, क्ता, प्रतिवादी, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः क्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा-88, 92ए राजस्थान कारी अधिनियम 1955 वादी के पक्ष में साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार जाता है। वादी को वादग्रस्त आराजी मौजा खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 108 रकबा 09-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर रकबा 14-02 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 119 रकबा 04-13 किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 124 रकबा 05-13 बीघा किस्म बारानी , खसरा नम्बर 210 रकबा 08-18 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर रकबा 09-17 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 06 कुल रकबा 52-16 में से मुताबिक राजीनामा एवं वादी के कानूनन 1/4 हक हिस्से अर्थात 13-04 तक खसरा नम्बर 124 रकबा 05-13 बीघा, खसरा नम्बर 119 रकबा 04-13 दोनों खसरान् का सम्पूर्ण हिस्सा तक खसरा नम्बर 701 कुल रकबा 09-17 में से 02-18 बीघा कुल 13-04 बीघा आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित जाता है। इसी कदर वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है, पर्चा पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/03/2021 को जारी ा गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:25 IST
Reason: SelfAttested

	रूपये	पैसे	मुख्तायलाह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा	03	-00	स्टाम्प वकालतनामा	01	-00
वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महनताना वकील		
ताना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमीश्नर		
कमीश्नर	01	-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
जानः-	05	-00	मिजानः-	01	-00

– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए या गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:25 IST
Reason: SelfAttested